हत्याकांड के पीड़ित परिवार को मिलेगी राज्य सरकार से आर्थिक मदद : भजनलाल शर्मा

जयपुर। जयपुर के बहुचर्चित मोहन लाल सिंधी हत्याकांड के पीड़ित परिवार सहित भारतीय सिंधु सभा, झूलेलाल फाउण्डेशन व सिंधी पार्षदों सहित विभिन्न सस्थाओं के सदस्यों ने शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके निवास पर मुलाकात की। पीड़ित परिवार और सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ितों को त्वरित न्याय, दोषियों को कठोरता सजा, आर्थिक सहायता और राज्य व केन्द्र की योजनाओं से मदद की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पूरी तरह संवेनशील होकर पीड़ितों को न्याय दिलवाएगी। आचार संहिता के बाद उन्होंने आर्थिक मदद और प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलवाया जाएगा एवं रोजगार की दृष्टि से डेयरी बूथ में सहयोग करें।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के साथ पीड़ित परिवार ने शनिवार को जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके निवास पर मुलाकात की।

गौरतलब है कि पिछले दिनों जयपुर में एक पुलिसकर्मी के बेटे ने गरीब परिवार के मोहन लाल सिंधी की हत्या कर दी थी। उस प्रकरण में सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निवास स्थान पर मुलाकात की। देवनानी ने मुख्यमंत्री से कहा कि इस प्रकरण में जिन लोगों की भी संलिग्ता है उन सभी को भी गिरफ्तार किया जाए। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी के अलावा भी परिवार के कुछ लोगों ने आरोपी का सक्रिय सहयोग किया है। उन सब को भी शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवायी जाए। देवनानी ने मुख्यमंत्री से कहा कि मृतक मोहन लाल सिंधी का परिवार बेहद गरीब वर्ग से आता है और मोहन लाल ही इस परिवार का मुख्य कर्ताधर्ता था। उसकी मृत्यु से गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया है। ऐसे में राज्य सरकार मोहन लाल के परिवार को उचित आर्थिक सहायता दे। उसके परिवार को स्थाई रोजगार के लिए डेयरी या दुकान का आवंटन किया जाए और परिवार को आश्रय के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में नि:शुल्क आवास उपलब्ध करवाया जाए।

इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवनानी और मोहन लाल सिंधी के परिजनों के साथ आए सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलवाया कि इस प्रकरण में किसी भी दोषी व्यक्ति को

- आचार संहिता के बाद सी.एम. ने आर्थिक मदद और प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलवाने का भरोसा दिलवाया

बख्सा नहीं जाएगा। चुनाव की आचार संहिता हटते ही मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और केन्द्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में पीड़ित परिवार सदस्य कामिनी मनवानी (बहन), मनीष लालवानी (बहनोई), पूर्व जयपुर शहर अध्यक्ष किशोर सचदेव, श्री झूलेलाल फाउण्डेशन राजस्थान के मुकेश लख्यानी, दादा सुन्दर ठाकुर, श्याम सतवानी, सिंधी सैन्ट्रल पंचायत जवाहर नगर के तुलसी त्रिलोकानी, दीवान रावतानी, भारतीय सिन्धु सभा के विष्णुदेव सामतानी, जितेन्द्र लखवानी (पार्षद), हीरालाल तोलानी, नारायण परनानी, जयेश समतानी एवं सर्व सिन्धी समाज महासभा के श्याम कोरानी उपस्थित थे।

आई.टी. हब के रूप में जयपुर विकसित किया जाएगा : मंजू शर्मा

लोकसभा जयपुर शहर भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा ने शनिवार को मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क किया।

जयपुर। लोकसभा जयपुर शहर भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा ने आज मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क किया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर लोगों ने मंजू शर्मा का भव्य स्वागत किया। वहीं तपती दोपहरी भी लोग अपनी प्रिय नेता का बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। इस दौरान मंजू शर्मा ने आमजन के बीच जाकर लोगों से मुलाकात की और देश का भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की। इस दौरान आयोजित जनसभाओं में लोगों ने हाथ उठाकर भाजपा को वोट देने का संकल्प लिया। वहीं करीब आधा दर्जन समाजों के प्रतिनिधियों ने भी मंजू शर्मा का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया और भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की।

इस दौरान मंजू शर्मा ने कहा कि जयपुर में पिछले 10 सालों से विकास की नई इबादत लिखी गई है। सांसद रामचरण बोहरा के नेतृत्व में जयपुर शहर का नाम देश के प्रमुख बड़े शहरों में शामिल हो गया है। अब उनके बाकी रहे कार्यों को पूरा करवाना प्राथमिकता रहेगी। वहीं जल्द ही जयपुर को आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि आने वाले समय में जयपुर की पहचान ही आईटी सेंटर के रूप में हो सके।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीता लोगों को भरोसा, कांग्रेस ने तोड़ा : सांसद रामचरण बोहरा
- कांग्रेस शासन में अपराध और तुष्टीकरण चरम पर पहुंचा : सराफ

सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान और आम आदमी का बुनियादी विकास कराकर मोदी सरकार ने लोगों में भरोसा पैदा किया है। बीते दस सालों में भगवान श्रीराम का अयोध्या में मंदिर बना, जम्मू कश्मीर से धारा-370 हटी। भाजपा की प्राथमिकता समस्याओं के समाधान कराने की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विदेशों में भारत के पासपोर्ट की कद्र हुई है। मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही 13 जिलो में पानी की कमी पूरी करने के लिए ईआरसीपी को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान में पेपर लीक करने वालो को जेल में बंद करने का काम भाजपा की भजनलाल सरकार ने ही किया है। कांग्रेस के शासन में तुष्टीकरण और अपराध चरम पर रहे। पूववर्ती लेकिन भाजपा शासन में अब अपराधी छिपते हुए फिर रहे हैं।

भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा ने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के स्वेज फार्म से जनसंपर्क शुरू किया। इस दौरान यहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और चुनरी ओढाकर अभिनंदन किया गया। इसके बाद उन्होंने 22 गोदाम, ज्योति नगर, लालकोठी, करतारपुरा, महेश नगर, इमली फाटक, बरकतनगर, मानसिंह पुरा, महावीर नगर व मिलाप नगर क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान उनका एक दर्जन से अधिक स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। जनसंपर्क कार्यक्रम में उनके साथ उप महापौर पुनीत कर्नावट, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा, अशोक पंड्या, भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के पूर्व संयोजक विमल कटियार, जितेन्द्र अजमेरा, पार्षद कविता कटियार, नरेश शर्मा, रजत परनामी, विजय सैनी, रमेश सैनी, दिनेश गौड, चंचल परनामी, अंजना सेन, सुधा शर्मा, शिवानी शर्मा सहित भाजपा नेता, पार्षद व पूर्व पार्षद, मोर्चो और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष तथा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मालपुरा सांप्रदायिक हिंसा प्रकरण के सभी आरोपी दोषमुक्त

जयपुर, (का.सं.)। शहर की सांप्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत ने वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद मालपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा प्रकरण के सभी 11 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव दोषमुक्त कर दिया है। जबकि प्रकरण में आरोपी बनाए गए कैलाश माली और सुखदेव लोहार की पूर्व में मौत हो चुकी है। वहीं एक बाल अपचारी का मामला किशोर न्यायालय में लंबित चल रहा है।

अदालत ने आरोपी रामस्वरूप, सीताराम शर्मा, रामबाबू शर्मा, घनश्याम, नोरत लोहार, रामबाबू, राजेन्द्र प्रसाद गालव, रामबाबू तेली, रमेश चन्द विजय, ओमप्रकाश तेली और सत्यनारायण धानका को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष इन लोगों पर आरोप प्रमाणित करने में पूरी तरह असफल रहा है। इसके अलावा ऐसी कोई साक्ष्य सामने नहीं आई है, जिससे यह साबित हो कि ये लोग हमलवारों में शामिल थे। वहीं इन लोगों के पास से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। इसके अलावा मामले में मानव अंग बरामद हुए थे, लेकिन कोर्ट में एफएसएल रिपोर्ट ही पेश नहीं हो पाई। अभियोजन ने आरोपियों की शिनाख्त परेड ही नहीं कराई और इसके चलते उनकी पहचान ही नहीं हो पाई।

मामले के अनुसार बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मालपुरा में भी सांप्रदायिक दंगा हुआ था। जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी और पांच लोगों के मानव अंग बरामद हुए थे। वहीं 9 दिसंबर, 1992 को शरीफन नाम की महिला ने पुलिस थाने में लोगों की मौत को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें सीआईडी-सीबी ने जांच कर 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमर सिंह और अश्विनी बोहरा ने कहा कि एफआईआर के अनुसार घटना महिला के घर हुई थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला ने कोर्ट में आकर बयान दिया कि घटना उसके घर में नहीं हुई है।

परिवहन निरीक्षक से मारपीट के दो अभियुक्तों को सजा

जयपुर। जिले के सत्र न्यायालय ने 9 साल पुराने मामले में परिवहन निरीक्षक के साथ राजकार्य के दौरान मारपीट करने और नगदी व मोबाइल छीनने के दो अभियुक्तों रोहिताश व गोपाल को 5 साल की जेल सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 14,400 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं कोर्ट ने दो अन्य आरोपी कृष्ण कुमार व दिनेश को बरी कर दिया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राघवेन्द्र पारीक ने बताया कि परिवहन निरीक्षक राजेश कुमार चौधरी ने बगरू पुलिस थाने में 25 फरवरी, 2015 को एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसमें कहा कि वह अपने राजकार्य में व्यस्त था और उसी दौरान अजमेर रोड पर ठीकरिया टोल प्लाजा के पास 5-6 जनों ने उसके साथ गंभीर तौर पर मारपीट की और उसकी नगदी व अन्य सामान छीनकर भाग गए। इस हमले में उसकी नाक की हड्डी व हाथ की अंगुली भी टूट गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मेडिकल में सामने आया कि पीड़ित के शरीर पर 6 चोट आई थीं। वहीं अपने बचाव में आरोपियों ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया है, वे ट्रक चलाते हैं और अक्सर उनकी कहासुनी आरटीओ कर्मचारियों के साथ होती रहती है। वे उन्हें परेशान करते रहते हैं। इसलिए उन्हें दोषमुक्त किया जाए।

राज्य स्तरीय समिति की एक साल से बैठक नहीं होने पर अध्यक्ष डॉ. बगरहट्टा को कारण बताओ नोटिस

सवाई मानसिंह अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी करने का मामला

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी के मामले में राज्य सरकार ने मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत गठित सलाहकार सह राज्य स्तरीय प्राधिकरण समिति की पिछले एक वर्ष से बैठक आयोजित नहीं किए जाने पर समिति के अध्यक्ष सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. राजीव बगरहट्टा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि समिति को मानव अंग प्रत्यारोण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समय-समय पर आवश्यक बैठकें आयोजित करनी थीं। लेकिन यह संज्ञान में आया है कि विगत एक वर्ष से नियामनुसार बैठकें नहीं की गईं। बैठकें आयोजित नहीं करने के संबंध में समिति के अध्यक्ष डॉ. बगरहट्टा से 3 दिवस में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उधर शनिवार को एसीबी की टीम ने एनओसी देने वाली कमेटी

- राज्य सरकार ने डॉ. बगरहट्टा से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।

के सदस्य डॉ.अनुराग धागड़ से भी पूछताछ की। इस दौरान उनके हस्ताक्षर का भी नमूना लिया। इससे पहले एसीबी मुख्यालय की टीम ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन और एथिकल कमेटी के सदस्यों के बयान लेकर पूछताछ की है। शुक्रवार को एसीबी मुख्यालय की टीम एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंची। जहां टीम ने प्राचार्य डॉ. राजीव बगरहट्टा, अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा और एथिकल कमेटी के मैंबर डॉ. रामगोपाल यादव के लिए बयान लिए। टीम ने तीनों चिकित्सकों के हस्ताक्षर के सैम्पल भी लिए।

गौरतलब है कि एसीबी ने अंग प्रत्यारोपण के लिए निजी हॉस्पिटलों को एसएमएस अस्पताल की कमेटी के नाम पर रिश्वत लेकर फर्जी एनओसी देने के मामले का 2 अप्रैल को ही खुलासा किया था। एसीबी ने गौरव सिंह व फोर्टिस हॉस्पिटल के विनोद व ईएचसीसी हॉस्पिटल के अनिल जोशी को गिरफ्तार किया था। वहीं हरियाणा के गुरूग्राम में अंगों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आने और इस गिरोह का जयपुर में सक्रिय होने का खुलासा होने के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम जांच के लिए गुरूग्राम भेजी गई है।

चुनाव में हर कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाएं : सहस्त्रबुद्धे

जयपुर। लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने आज जयपुर शहर लोकसभा प्रधान कार्यालय पर जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसको संबोधित करते हुए डॉ. सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की अपनी भूमिका होती है सभी को अपनी दी गई जिम्मेदारी के अनुरूप भूमिका का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान आईटी के युग में आईटी और मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया की महती भूमिका है। चुनावों में विपक्षी पार्टियों की ओर से वोटों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के सदस्यों की जिम्मेदारी चुनावों में बढ़ जाती है। सभी को सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे मुद्दों पर नजर रखनी चाहिए और यथासमय दुष्प्रचार का जवाब भी देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है लेकिन चुनावों में गाइडलाइन के कारण कई मुद्दे सही प्रकार से उठ नहीं पाते हैं। ऐसे में मीडिया टीम की सभी प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल मीडिया संस्थानों के पत्रकारों से समन्वय रखते हुए जमीनी मुद्दों की जानकारी देते रहना चाहिए। इस दौरान जयपुर शहर लोकसभा चुनाव संयोजक डॉ. एस.एस. अग्रवाल ने कहा कि जयपुर शहर में आगामी 19 अप्रैल को मतदान होना है और इसके लिए सभी पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उसे पूरा करें और अन्य विभागों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से समन्वय बनाकर काम करें। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की एकजुटता देखकर कांग्रेस नेताओं में खलबली मची है।

भाजपा का एक ही नारा 'सबका साथ सबका विश्वास' : मीणा

जयपुर। भाजपा प्रेस कार्यालय पर भाजपा दिवस पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें राजस्थान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने भाजपा पार्टी की सरकारों द्वारा किए गए अब तक के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भाजपा पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है।

उन्होंने कहा कि आज देश में भाजपा शासित सरकारों ने हर वर्ग के लोगो के लिए बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भजनलाल के नेतृत्व में राजस्थान नई ऊंचाईयो को छूने के लिए अग्रसर है। राजस्थान सरकार ने अपने संकल्प पत्र में राजस्थान की महिलाओं को कम दाम पर सिलेंडर देने का वादा किया था जो की सरकार बनते ही पूरा कर दिया गया आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से अलवर को भी फायदा हुआ है, जिससे दिल्ली आने जाने में अलवरवासियो को सहूलियत मिली है, आज राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी योजना के जरिए 21 जिलों में पानी की समस्या का पूरी तरह से हल करने का संकल्प लिया है।

श्वेत अश्व आठ दिशाओं में नव संवत्सर के प्रचार के लिये रवाना

जयपुर। नव संवत्सर 2081 प्रारम्भ होने का प्रचार करने के लिये चार श्वेत अश्व (घोड़े) जयपुर के आराध्य देव गोविन्ददेवजीसे जयपुर के प्रमुख संत महंत, प्रबुद्ध व्यक्तियों एवं विद्वान पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर रवाना किया। यह अनूठा कार्यक्रम नवसंवत्सर के प्रति जागरूकता लाने और नव संवत्सर 2081 का प्रचार प्रसार करने के लिये किया गया। जिसमें श्वेत अश्व (घोड़े) के दोनो तरफ नव संवत्सर की शुभकामनाएं के बैनर लगे हुये हैं, आगे ढोल बज रहे हैं। घोड़े के उपर छतरी और नाचते गाते हुये कार्यकर्ता साथ चल रहे हैं।

संस्कृति युवा संस्था एवं नव संवत्सर उत्सव समारोह समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा सपत्नीक नीलम मिश्रा, ने विधि विधान से विद्वान पंडितों के साथ वैदिक रीति के साथ अश्वों की पूजा अर्चना करवाई।

नव संवत्सर 2081 के प्रारम्भ होने का प्रचार करने के लिये चार श्वेत अश्व (घोड़े) जयपुर के आराध्य देव गोविन्ददेवजी से जयपुर के प्रमुख संत महंत, प्रबुद्ध व्यक्तियों एवं विद्वान पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर रवाना किये।

इसके पूर्व गोविन्द देवजी के महंत मानस गोस्वामी ने पूजा अर्चना की और संत महंतों का स्वागत किया और उपस्थित लोगो को आशीर्वाद दिया।

इस अवसर पर हाथोज दक्षिण मुखी बालाजी महंत एवं विधायक बालमुकुंद आचार्य महाराज, सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य राजेश्वर, गीता गायत्री मंदिर के पं. राजकुमार चतुर्वेदी, घाट के बालाजी महंत सुदर्शनाचार्य, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर कैलाश गौड़, परकोटा गणेश के अमित, लाडली जी मंदिर के संजय गोस्वामी एवं महंत दीपक वल्लभ गोस्वामी, धर्म प्रचारक विजय शंकर पाण्डेय, प्राचीन श्याम मंदिर के महंत लोकेष मिश्रा, केशवराय मंदिर जयसिंहपुरा खोर के महंत कैलाश शर्मा एवं कमलेश शर्मा, जयपुर पुजारी महासंघ के नीतीश चतुर्वेदी एवं पंकज शर्मा ने चारों अश्वों की लगाम पकडकर गोविन्द देवजी मंदिर के चौराहे तक लाये उसके पश्चात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में रवाना किया गया।

यह अश्व जयपुर शहर के प्रमुख मंदिरों में ईषान में खोले के हनुमानजी मंदिर, पूर्व में गलता, आग्नेय में गोनेर मंदिर, दक्षिण में सांगा बाबा, नैऋत्य में स्वामी नारायण मंदिर, पश्चिम में हाथोज हनुमान जी, वायव्य में कदम्ब डूंगरी व उत्तर में आमेर में काले हनुमान मंदिर जी के लिये छोडे गये और नव संवत्सर का 11 दिन तक अनूठे तरीके से प्रचार-प्रसार करेंगे। नव संवत्सर की जानकारी युवाओं को देने के लिये कार्यक्रर्ता पम्पलेट बांटते हुए चल रहे हैं।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संस्कृति युवा संस्था के संरक्षक एडवोकेट एच.सी. गणेषिया, प्रदेशाध्यक्ष गौरव धामाणी, मुकेश मिश्रा, वरुण शर्मा, पंकज शर्मा, दीपक धीर, नीलम मिश्रा, लता शर्मा, सुरेन्द्र शर्मा, श्रीराम मोदी, नितिन शर्मा, विकास शर्मा, हर्ष शर्मा सहित बडी संख्या में लोग उपस्थित थे और अश्वों के आगे ढोल नगाड़े पर नाचते गाते आगे चल रहे थे और सनातन धर्म की जय हो, नव संवत्सर का स्वागत है के नारे लगा रहे थे।

नम्बर मिलाइए 9587884433

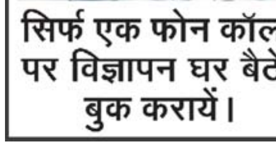

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

Regd. No. 3122/L
BHAIRAV GRAH NIRMAN SHAKARI SAMITI LTD. JAIPUR
197, Subhash Colony, Shastri Nagar, Jaipur-302016
सूचना Dated- 06.04.2024
"समिति के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की आम सभा का आयोजन दिनांक 21.04.2024 को प्रातः 11.00 बजे समिति के कार्यालय 197, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर जयपुर पर किया जाना निर्धारित किया है। अतः समय पर पधारने का कष्ट करें। अधिक विस्तृत जानकारी (एजेन्डा आदि) के लिए समिति के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।"
"मंत्री भैरव गृह निर्माण स.स. लि. 197, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर जयपुर"
भैरव गृह निर्माण स.स.लि., जयपुर

आम सूचना सब आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य अनिल कुमार सक्सैना पुत्र स्व. श्री मंगली प्रसाद सक्सैना 30-ए, डब्ल्यू.ए.ओ. कॉलोनी, अम्बाबाडी जयपुर 1/2 हिस्सा पार्टनर मिलेनियम कार्गो मूवर्स एल.एल.पी. की सह 1/2 हिस्सा पार्टनर दामिनी टिक्कीवाल पुत्री दिलीप टिक्कीवाल निवासीनी सी-507 सिद्धार्थ नगर जयपुर के द्वारा कारित कुछ अपरिहार्य, कृत्यों के कारण मेरे अभिभाष्य ने उक्त फर्म को विघटित कर दिया है जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 28.03.2024 को दामिनी टिक्कीवाल को उसके घर और ऑफिस 50-ए, सुमेर नगर विस्तार मानसरोवर जयपुर पर सूचित कर दिया गया है। उक्त फर्म अब मिलेनियम कार्गो मूवर्स एल.एल.पी. अब पूर्णरूपेण भंग हो चुकी है। वैधानिक एवं कानूनी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कार्यवाहीयाँ में लम्बित है। अतः मेरे अभिभाष्य के नाम से अथवा उसके बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति, संस्था, सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान, कोई भी कार्पोरेशन, ओटोनोमस बोडी, निजी एवं सरकारी बैंक किसी भी प्रकार का कोई लेन देन अथवा संव्यवहार किसी भी प्रकार का लिखित अथवा मौखिक दस्तावेजी अथवा इलैक्ट्रानिक, करार इत्यादि करेगा तो प्रत्येक प्रकार से कानूनी आर्थिक एवं अन्य समस्त परिणामों एवं दुष्परिणामों की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। मेरा अभिभाष्य अनिल कुमार सक्सैना उक्त के लिए लेश मात्र भी जिम्मेदार नहीं होगा।
जयपुर (अजय कुमार सक्सैना, मधु गुप्ता) एडवोकेट
दिनांक-04.04.2024 मो. 9414457031

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम दीपक कुमार पाण्डे से बदलकर दीपक पाण्डे कर लिया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए। पता-फ्लैट नंबर-206, सिद्धि होम्स, सुमेर नगर विस्तार, ब्लॉक-एफ, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर-302020, मोबाइल-9414360593

खोया-पाया
मेरे मकान 6/43 मालवीय नगर जयपुर के मूल दस्तावेज कब्जा पत्र, डिमाण्ड लैटर, कार्यालय आदेश, नियमितिकरण, अदैय प्रमाण पत्र, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, मालवीय नगर जयपुर में कहीं गिर गये है। मिलने पर सूचित करें- हरीश सैनानी-9694854669

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. शिवोम इन्टरप्राईजेज, भूखण्ड संख्या एच-1/730 रीको औद्योगिक क्षेत्र, चौपानकी, भिवाडी तह. टपूकडा जिला खैरथल-तिजारा (राज.) एक पार्टनरशिप फर्म है। जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर RF/BHI/2022/729 दिनांक 24.02.2022 है उक्त फर्म में श्री प्रीतम आहुजा पुत्र श्री अंशी लाल आहुजा निवासी डी-235/बी, द्वितीय तल, विवेक विहार फेज-1, दिल्ली-110095 कृष्ण आहुजा पुत्र श्री अंशी लाल आहुजा निवासी डी-235/बी, प्रथम तल, विवेक विहार फेज-1, दिल्ली-110095 अशोक आहुजा पुत्र श्री हरी चन्द आहुजा निवासी ए-44, शिवाजी विहार, जनता कॉलोनी, नई दिल्ली-110027, राजेश कुमार आहुजा पुत्र स्व. श्री कुशल चन्द आहुजा निवासी ए-ब्लॉक 318-बी, सूर्य नगर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, प्रवीन पॉल सचदेवा पुत्र श्री के.जी. सचदेवा निवासी 165, राम विहार, दिल्ली-110092 एवं सोमान्स सचदेवा पुत्र श्री प्रवीन पॉल सचदेवा निवासी 165, राम विहार, दिल्ली-110092 पार्टनर है। पार्टनर श्री प्रीतम आहुजा ने दिनांक 28.06.2022 को स्वेछा से अपनी भागीदारी छोड दी एवं श्री मयन आहुजा पुत्र श्री प्रीतम आहुजा निवासी डी-235/बी, द्वितीय तल, विवेक विहार फेज-1, दिल्ली-110095 नए पार्टनर बन गए है। उक्त भागीदारी परिवर्तन पर किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस, जिला उद्योग केन्द्र, भिवाडी में अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं।
-पार्टनर, मै. शिवोम इन्टरप्राईजेज

सार्वजनिक नोटिस
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बी-124 ('उत्तम आस्था') मोती डूंगरी विस्तार योजना गणेश मंदिर के पास, जयपुर, बी-49 ('वशंभर पैराडाइज') और बी-3 गणेश नगर, मोती डूंगरी, जयपुर में तीन बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। उक्त भवनों के निर्माण को मोती डूंगरी विस्तार योजना के कुछ निवासियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई है, जिसमें खंडपीठ ने आदेश दिनांक 31.10.2023 द्वारा फैसला सुनाया गया है कि उक्त भवनों का निर्माण लंबित एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 8803/2023 के अंतिम परिणाम पर निर्भर रहेगा।
जनहित याचिकाकर्ता
प्रीती असावा/अरुणा स्वामी

आवश्यक सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि साधना अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड गंगा कॉलोनी नियर झारखण्ड मोड खातीपुरा रोड जयपुर (राजस्थान) अपने बहिरंग (OPD) एवं अंत: (IPD) रोगियों का पुराना मेडिकल रिकॉर्ड नष्ट करने जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति व संस्था को 31 मार्च 2020 तक का (IPD) मेडिकलरिकॉर्ड व बहिरंग (OPD) मेडिकलरेकार्ड चाहिए तो दिनांक 21 अप्रैल 2024 रविवार सायं 5 बजे तक अस्पताल से प्राप्त कर लेवे। दिनांक 21 अप्रैल 2024 रविवार सायं 5 बजे के पश्चात बहिरंग (OPD) मेडिकल रेकार्ड व (IPD) अंत रोगी मेडिकल रेकार्ड के सम्बंध में अस्पताल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
अस्पताल अधीक्षक
वास्ते-साधना अस्पताल प्रा.लिमिटेड
डायरेक्टर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा/उपा.1/जोन-1/2024/डी-387 दिनांक-04.04.2024
विज्ञप्ति
न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सिद्धार्थ नगर के भूखण्ड संख्या ई-34, का पट्टा बिलेख दिनांक 28.02.1987 को श्री हरि बाबू अग्रवाल पुत्र श्री भजनलाल अग्रवाल के पक्ष में जारी किया गया। तत्पश्चात श्री हरि बाबू अग्रवाल पुत्र श्री भजनलाल अग्रवाल द्वारा दिनांक 25.05.2015 को जरिये पंजीकृत वसीयतनामा राशि अग्रवाल पुत्री श्री हरि बाबू अग्रवाल के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया एवं श्री हरिबाबू अग्रवाल पुत्र श्री भजनलाल अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 15.01.2024 को हो चुकी है। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर राशि अग्रवाल पुत्री श्री हरि बाबू अग्रवाल द्वारा नाम हस्तानतरण/फ्री-होल्ड पट्टा प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 164000 दिनांक 23.02.2024 को किया है। भूखण्ड संख्या ई-34, का उक्त के नाम से नाम हस्तानतरण/फ्री-होल्ड पट्टा जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 07 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के जोन-1 जविप्रा, कमरा नं. पी.बी.-एस.एफ.202, 206 जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावे तथा प्राप्ति रसीद लेवे, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नाम हस्तानतरण/लीज-होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।
(सुभाष चन्द बोहरा), उपायुक्त, जोन-1

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-7 मुकाम जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
हरिश मेहता बाबत कजोड
दावा बाबत-कायम मुकाम
मुकदमा नम्बर 46/2012 CIS 42255/2014
बनामः-
मुसम्मी मनफुली पत्नि राजेन्द्र मीणा कौम मीणा साकिन नटाटा तहसील आमेर परगना जिला जयपुर।
चूंकि वादी ने इस अदालत में तारीख 15.10.2019 माह सन 199 को 1. हरिश मेहता बनाम 2. कजोड दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि प्रतिवादी सं. 2 मृतक बद्री मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा मे यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी प्रतिवादी सं. 2/2 मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3. प्रतिवादी सं. 2/2 बनाये जावें।
लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही 1. मनफुली 20 माह 04 सन 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसल किया जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 03 सन 2024 को जारी किया गया।
रीडर ग्रेड प्रथम
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम संख्या-7,
जयपुर महानगर द्वितीय
मोहर अदालत